दि० 10.5.16 को पेश हो।

10-5-16

पत्रावली पेश। वकील वादी एवं वादी उप० हैं। वादी द्वारा एकमात्र नकल जमाबंदी वाके माल मौजा भीमोरा संवत् 2068-71 खाता नम्बर 20 बरखाता वादी पेश की गई। वकील वादी को सुना

~~आवेदन पेश नहीं करना।~~

गया। वादी को भी सुना गया। वकील
वादी का कथन है कि वादगत भूमि वादी
की संपत्ति है। प्रतिवादीगण0 जो कि
वादी का पुत्र तथा पत्नी है, के द्वारा
वादी के साथ अमानवीय व्यवहार करते
है, तथा वादी की भूमि पर जबरन कब्जा
करके वादी को उसकी भूमि से बेदखल
कर देना चाहते है। प्रतिवादीगण0 कहते
है, कि वह भूमि को बेच देगा। मगर मैं
अर्थात वादी जीवनभर भूमि का बेचान
नहीं करूँगा।

अतः प्रतिवादीगण0 को जरिये स्थाई
निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वादी
के खाते की भूमि पर किसी प्रकार से
दखलंदाजी नहीं करें। वादी को शान्ति-
पूर्वक काबिज काश्त रहने देवें।

वादी एवं वकील वादी को सुना
जाकर पत्रावली का आद्योपान्त अव-
लोकन किया गया। वादी वादगत-
भूमि आराजी खसरा नम्बर 514,
718, 722 किता 3 रकबा 2.76 हेक्टर
वाके माल मौजा नीमोदा का अभिलिखित
खातेदार आसामी दर्ज है। प्रतिवादीगण0
का वादगत भूमि से कोई सरोकार होना

- क्रमशः -

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की ... में जारी

प्रकट नहीं होता है।

पूर्व में ही प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया है, लिहाजा उनका जवाब पूर्व में ही बन्द किया जा चुका है। यदि वादी जो कि वादग्रस्त भूमि का धारा 14 के अनुसार खातेदार दर्ज है, के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण अनधिकार मदाखलत-मज़ाहमत की जाती है, तो इससे वादी को अपरीमित क्षति होना तय है।

चूंकि वादी वादग्रस्त भूमि का बेचान नहीं करने हेतु वचनबद्ध हो चुका है,

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि प्रतिवादीगण ग्राम भीमोदा की आराजी ख० नं० 514, 718, 722 किता 3 रकबा 2.76 हेक्टर पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न तो स्वयं करें, न अपने किसी एजेन्ट से ही करावें। तदनुसार डिक्री-पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दि० 10.5.2016 को सुनाया गया।

(S.D. मीणा)